राजस्व : अपील प्राधिकारी सीकर

[पूर्व अहलकार]

अज अदालत ..... सीकर ..... विकरास .....

सरकार बनाम ..... [illegible] .....

किस्म मुकदमा ..... [illegible] ..... नम्बर नं० ..... [illegible] .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जज इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहलकार जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-3-19	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार पक्षकार उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। नस्ती का अवलोकन किया। पट्टा खातेदारों द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्रुपालिक सहमति पत्र अनुसार दुरुस्तीकरण का निवेदन किया। सहमति पत्र पर पट्टाकार बापणारी, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर दुरुस्तीकरण का निवेदन किया ऐसी स्थिति में ग्रुपालिक सहमति पत्र दुरुस्त किये जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दिनांक 20.3.19 भी निर्णय वहिनी का भाग रहेगें।	

अतः दावा बाबी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित खाता सं. 122 वाले रकबा बाबते तहसील सिकराय के राजस्व रिकॉर्ड में सहमति दि० 20.3.19 के ग्रुपालिक दुरुस्ती करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner